भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5829
उत्तर देने की तारीख-30/03/2026

समग्र शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन

5829. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में विशेषकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी और अवसंरचना की कमी को दूर करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में उक्त योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप बनाने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या वर्ष 2025-26 के लिए इन क्षेत्रों में विद्यालयों की मूलभूत अवसंरचना में सुधार के लिए कोई अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई है; और
(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-बार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018-19 से स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना - समग्र शिक्षा शुरू की है। इस योजना के तहत शिक्षकों के सशक्तिकरण सहित पूर्व-प्राथमिक से बारहवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा के सभी पहलुओं को संचालित किया जाता है। इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के साथ जोड़ा गया है और योजना के तहत मध्यवर्तन को एनईपी, 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।

केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत मौजूदा सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ करना और अवसरंचना में सुधार करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। इसमें अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालय (लड़कों, लड़कियों और सीडब्ल्यूएसएन के लिए), पेयजल का प्रावधान, बिजली, चहारदीवारी, पुस्तकालयों, आईसीटी सुविधाओं और डिजिटल कक्षाओं का निर्माण शामिल है। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडाइज) और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके अवसरंचनात्मक आवश्यकताओं की पहचान प्रति वर्ष की जाती है। ये वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में परिलक्षित होते हैं, जिन्हें फिर परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा वित्तीय मानदंडों, पिछली प्रगति और संसाधन की उपलब्धता पर विचार करते हुए समीक्षा और अनुमोदन किया जाता है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और युक्तिसंगत तैनाती संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के क्षेत्राधिकार में आती है। सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और छात्रों की बढ़ती संख्या अथवा नए स्कूलों को समायोजित करने की आवश्यकता के कारण शिक्षक भर्ती एक सतत प्रक्रिया है। समय पर भर्ती के लिए एक व्यापक, प्रौद्योगिकी संचालित योजना और पूर्वानुमान कार्य करना प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का उत्तरदायित्व है। केंद्र सरकार समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है। यह संशोधित नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग समय-समय पर समीक्षा बैठकों और परामर्शों के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से शिक्षकों की रिक्तियों और अवसरंचनात्मक कमियों को पूरा करने का अनुरोध करता है।

इसके अतिरिक्त, समग्र शिक्षा के तहत, पीएबी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर मध्यवर्तन-वार अनुमोदन देता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, महाराष्ट्र राज्य को कुल 2673.98 करोड़ की निधियां स्वीकृत की गई है, जिसमें से ₹878.79 करोड़ की राशि गैर-आवर्ती शीर्ष के तहत स्वीकृत की गई है, जिसमें पीएमजनमन, डीएजेजीयूए के तहत जनजातीय क्षेत्रों में छात्रावासों, उत्कृष्टता के लिए डीआईईटी और स्कूलों के बुनियादी अवसरंचना के हेतु सहायता शामिल है।
